Shikshan Sanshodhan : Journal of Arts, Humanities and Social Sciences ISSN: 2581-6241
Monthly, Peer-Reviewed, Refereed, Indexed Journal Impact Factor: 5.146
Volume - 5, Issue - 5, MAY - 2022 Publication Date: 31/05/2022

DOIs:10.2018/SS/202205010 --:-- Research Article

विशिष्टि बालकों के लिए समावेशी शिक्षा: एक शैक्षिक अध्ययन

परिना बंसल
शोध छात्रा
शिक्षा विभाग
आईएफटीएम विश्वविद्यालय, मुरादाबाद, उ. प्र.
ई- मेल पता: bansalparina1980@gmail.com

डॉ. मोहन लाल 'आर्य'
प्राध्यापक
शिक्षा विभाग
आईएफटीएम विश्वविद्यालयए मुरादाबाद, उ. प्र.
ई- मेल पता: drmlarya2012@gmail.com

सार:- प्रस्तुत अध्ययन हमारे समाज के उन बालकों के सन्दर्भ में प्रस्तुत किया जा रहा है जिनकों हमसे और हमारे समाज से एक विशेष उम्मीद और आशा की आवश्यकता होती है। अर्थात वे बालक जो सामान्य से भिन्न विशिष्ट होते है उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं के सन्दर्भ में एक शैक्षिक अध्ययन है। प्रस्तुत अध्ययन का मुख्य उद्देश्य विशिष्ट बालकों के लिए समावेशी शिक्षा की आवश्यकता है, जिसके लिए अध्ययनकर्ताओं ने वर्णनात्मक विधि का प्रयोग मुरादाबाद जनपद के विभिन्न क्षेत्रों के माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् बालकों का अध्ययन करने हेतु किया है।

मुख्य शब्द :- विशिष्ट बालक, समावेशी शिक्षा, शिक्षा व्यवस्था, अक्षमता।

1. प्रस्तावना:-

इतिहास मे हमे विभिन्न विशिष्टाओं वाले व्यक्ति देखने को मिलते है। जैसे-महान कवि सूरदास जन्मान्धे थे। अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट स्वय पोलियो के शिकार थे। इस प्रकार के अनेक उदाहरण हमे देखने को मिलते है। इस प्रकार के लोगों को विशिष्टता की श्रेणी मे रखा गया हैं। ऐसे बालकों को विशिष्ट प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता होती है। शिक्षा प्राप्त करना सबका जन्म सिद्ध अधिकार है। शिक्षा मनुष्य के समुचित विकास में अत्यन्त सहायक सिद्ध होती है। इसके द्वारा बालक की अर्न्तनिहित शक्तियों को बाहर निकाला जाता है। विशिष्टता शारीरिकए मानसिक किसी भी प्रकार की हो सकती है। विशिष्ट बालक अपने आपको सामान्य बालकों से भिन्न रखते है। अतः इन बच्चों की देख भाल करना तथा इनकी शिक्षा का प्रबन्ध करना, शैक्षिक अवसरों की समानता, सामाजिक न्याय एवं राष्ट्रीय विकास की दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण है। इसके लिए विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता महसूस की गई, क्योंकि विशिष्ट बालक सामान्य बालकों से अलग होते है। लेकिन मनोवैज्ञानिको ने महसूस किया कि इससे बालको में हीन भावना का विकास हो रहा है। इसलिए विशिष्ट व सामान्य बच्चों के लिए एक अलग शिक्षा अर्थात समावेशी शिक्षा को अपनाया गया। यह शिक्षा सामान्य व विशिष्ट बच्चों को शिक्षा के समान अवसर प्रदान करती है। समावेशी शिक्षा तो विशिष्ट शिक्षा का पूरक है। शारीरिक रूप से बाधित बालकों को समावेशी शिक्षा संस्थान में प्रवेश कराया जा सकता है। देश पर बोझ माने जाने वाले विकलांग व्यक्तियों को आज समाज में शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर न समझकर उपयोगी व्यक्ति समझा जाने लगा है। प्राचीन सभ्यता पर नजर डाले तो पाते है कि या तो शारीरिक रूप से बाधित बालकों की हत्या कर दी जाती थी या उन्हें समाज कलंक की नजरो से या दयालुता की नजर से देखता था उन्हें बोझ समझा जाता था। आज कोई ऐसा कार्य नहीं जहॉ किसी न किसी विकलांग विभूति ने अपने असाधारण कृतित्व में अमिट छाप न छोडी हो। अमेरिकी राष्ट्पति रूजवेल्टए पोलियोग्रस्त, क्रिकेटर चन्द्रशेखर, श्रवणहीन वैज्ञानिक थॉमस एडीसन, अस्थि विकलांग स्टीफन हाकिन्स एवं नकली टॉगो के सहारे विमान चलाने वाले पायलट मरैस्येव आदि इसके उदाहरण है। बीजिंग ओलाम्पिक के पैरालंपिक गेम्स में

;विकलागो से सम्बन्धितद्ध दर्शको की बढती संख्या से जाहिर होता है कि विश्व समुदाय की विकलांग के बारे मे धारणा बदली है। विकलांग बालक आवश्यकता की पूर्ति चाहता है तथा इन आवश्यकताओं की पूर्ति न होने पर उसमें निराशा, कुण्ठा व असन्तोष की भावना उत्पन्न हो जाती है। अतः ऐसे बालकों को समाज में उचित स्थान दिलाने के लिए, समाज के अनुकूल बनाने के लिए विशेष प्रकार की सुविधाओं की आवश्यकता होती है। विकलांग बच्चे शिक्षा में सबसे समूहो में से एक है। जहॉ तक हो सके प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत विशेषताओ की परवाह किये बिना प्रत्येक स्थानीय स्कूल में सिखाने की व्यवस्था होनी चाहिए। ऐसे बच्चों को विकलांगता से अलग एवं एकीकृत दृष्टिकोण से बचाना चाहिए।

2. समावेशी शिक्षा का अर्थ:-

समावेशी शिक्षा वह शिक्षा है, जिसके द्वारा विशिष्ट क्षमता वाले बालक जैसे मन्द बुद्वि, अन्धे, बहरे बालक एवं प्रतिभाशली बालकों को शिक्षा दी जाती है अर्थात सामवेशी शिक्षा वह होती है जिसके द्वारा सभी बच्चे चाहे वे किसी भी प्रकार के हो एक ही स्कूल में एक साथ सीखते है। यह सभी शिक्षार्थियां तक पहुचने वाली शिक्षा की बाधाओं को दूर करने के लिए उपयोगी हैए जो कि सभी बच्चों की भागीदारी और उपलब्धि को सीमित करता है। यह सभी बच्चों और युवाओं की विभिन्न आवश्यकताओं, क्षमताओं और विशेषताओ का सम्मान करती हैए यह सभी प्रकार के भेद भावों से मुक्त है। समावेशी शिक्षा व्यवस्था समाज को अधिक समावेशी बना सकती है। समावेशी शिक्षा सर्वप्रथम छात्रों के बौद्धिक एवं शैक्षिक स्तर की जॉच करती है, तत्पश्चात उन्हें दी जाने वाली शिक्षा का स्तर निर्धारित किया जाता है। अतः यह एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था है, जो कि विशिष्ट क्षमता वाले बालकों हेतु निर्धारित की जाती है। अर्थात समावेशी शिक्षा को एक आधुनिक सोच की तरह परिभाषित किया जा सकता है, जो कि शिक्षा को अपने में सिमटे हुए दृष्टिकोण से मुक्त करती है और उसे ऊपर उठने के लिए प्रोत्साहित करती है। समावेशी शिक्षा अधिगम के ही नही, बल्कि विशिष्ट अधिगम के नये आयाम खोलती है।

यह भी पाया गया है कि कुछ शिक्षाविद् विशिष्ट शिक्षा के पक्षधार नही है। उनके अनुसार यह शिक्षा के अवसरों के समान नहीं तथा बालकों के विचारो में भिन्नता पैदा होती है। सामान्य कक्षाए अपंग बालकों में हीन भावना उत्पन्न करती है। कुछ समय पहले मनोवैज्ञानिको ने विचार दिया कि समावेशी शिक्षा हमारे सामान्य विद्यालयों में दी जाये जिससे सभी बालकों को शिक्षा के समान अवसर मिलें। विकलांग बच्चे शिक्षा से सबसे बहिष्कृत समूहों मे से एक है। विश्व स्वास्थय संगठन के अनुसार विश्व भर में लगभग 150 मिलियन बच्चें विकलांग है। विकलांग बच्चों को उनकी राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था या प्रणाली में कैसे शामिल किया जाए। यह एक महत्वपूर्ण विचार है। उपयुक्त शिक्षण सामग्री की कमी के कारण स्कूल में उनकी पहुच और सीखने में मुश्किल हो जाती हैं। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सभी बच्चों का एक मौलिक अधिकार हैं। विकलांग बच्चों कोई समस्या नही है वरन यह विश्व शांति का निर्माण करने और सतत् विकास को बढावा देने का आधार भी है। सतत् विकास किसी को पीछे छोडने पर अपना ध्यान केन्द्रित करने के साथ, अपनी शिक्षा व्यवस्थाओं या प्रणालीयों को अधिक समावेशी और न्याय सगंत बनाने के लिए अवसर प्रदान करता है। समावेशी शिक्षा सभी विकलांग बच्चों को फलने-फूलने में मदद करती है। यह समाज में एक महत्वपूर्ण और सक्रिय भूमिका निभा सकती है। समावेशी शिक्षा विविधता एवं गुणवत्ता पर ध्यान केन्द्रित करने और बच्चों की विभिन्न आवश्यकताओं के प्रति इसकी जबावदेही के साथ सभी शिक्षार्थियों के लिए लाभोपयोगी है।

3. समावेशी शिक्षा की आवश्यकता:-

समावेशी शिक्षा प्रत्येक बच्चे के लिए उच्च और उचित उम्मीदो के साथ उसकी व्यक्तिगत शक्तियों का विकास करती है। समावेशी शिक्षा अन्य छात्रों को अपनी उम्र के साथ कक्षा के जीवन में भाग लेने और व्यक्तिगत लक्ष्यों पर काम करने हेतु अभिप्रेरित करती है। समावेशी शिक्षा बच्चों को उनके शिक्षा के क्षेत्र में और स्थानीय स्कूलों की गतिविधियों में

उनके माता-पिता के शामिल होने को भी प्रोत्साहित करती है। समावेशी शिक्षा सम्मान और अपनेपन की संस्कृति के साथ-साथ व्यक्तिगत मत-भेदां को दूर करने के भी अवसर प्रदान करती हैं। समावेशी शिक्षा में अन्य बच्चें अपनी स्वयं की व्यक्तिगत आवश्यकताओं एवं क्षमताओं के साथ प्रत्येक को एक विविधता के साथ दोस्ती का विकास करने की क्षमता विकसित करती है। व्यक्तिए मानव योनी में जन्म लेने के फलस्वरूप प्रत्येक मानव को प्रकृति द्वारा प्रदत्त समस्त प्रकार की सुविधाओ का उपयोग करने का अधिकार है। अतः विशिष्ट बालक भी समाज का एक अभिन्न अंग हैं। उनके लिए समावेशी शिक्षा की आवश्यकता परमावश्यक हो जाती है। समावेशी शिक्षा से सम्बन्धित सुविधाये देकर विशिष्ट बालकों को लाभ पहुचाया जा सकता है। यह आधुनिक समय में शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य समस्या है कि सामान्य एवं विशेष बच्चों का शिक्षा में समावेश कैसे किया जाए प्राचीन समय में विशिष्ट बालकों को शिक्षा एंव समाज दोनों से दूर रखा जाता था। ये बालक प्राचीन काल से सामाजिक भेदभाव को झेलते रहे है। समाज से इस रूढ़िवादी अवधारणा को दूर करने का एक मात्र सहारा विशिष्ट बालकों को समाजोपयोगी बनाना है, जोकि समावेशी शिक्षा के माध्यम से ही सभंव है। हालांकि, लाभवंचित वर्गां जैसे मुस्लिम, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, बालिकाऐं और विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक तथा सामान्य जनसंख्या के बीच नामांकन में औसत कमी हुई है। ऐतिहासिक दृष्टि से लाभवंचित और आर्थिक रूप से कमजोर बच्चां के विभिन्न अधिगम स्तरां, जिनमें सीखने की क्षमता बहुत कम होती है, इसमें अभी बडा अंतर है। व्यापक और बढ़ते हुए अधिगम अंतराल ने नामांकन क्षेत्र में प्राप्त समानता के लाभां को खतरा पहुॅचाया है क्यांकि अधिगम के निम्न स्तरों वाले बच्चां के बीच में पढ़ाई छोडकर जाने की संभावना अधिक रहती है। हमें स्त्री-पुरूष और सामाजिक अंतराल को निम्न करने के मौजूदा हस्तक्षेपां की जांच करने तथा प्रभावकारी समावेश के लिए केंन्द्रित कार्यनीतियों को पहचानने की आवश्यकता है।

4. समावेशी शिक्षा के अत्र्तगत विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक और उनकी की शिक्षा व्यवस्था:-

समावेशी शिक्षा के अत्र्तगत विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक जैसे. दृष्टि अक्षमता, श्रवण अक्षमता, मानसिक अक्षमता या मंदता, गामक अक्षमता एवं अधिगम अक्षमता और उनकी की शिक्षा व्यवस्था को निम्नांकित द्वारा समझा जा सकता है.

(1) दृष्टि अक्षमता:

दृष्टि अक्षमता या नेत्रहीन बालकों को समाज का उपयोगी सदस्य बनाने के लिए उचित शिक्षण प्रशिक्षण प्रदान करने की अवश्यकता है। इन बालकों की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य यह होना चाहिए कि वे समाज में समायोजन स्थापित कर सकें। दृष्टि अक्षमता को 1961 मे अमेरिकन फाउडेशन ने निम्न प्रकार परिभाषित किया है- ऐसे बच्चे जिनकी दृष्टि क्षमता 20/200 स्नेल होए नेत्रहीन समझे जाते है, ऐसे बच्चे जिनकी दृष्टि क्षमता 20/70 स्नेल तथा 20/200 स्नेल से कम हो (बीच मे हो) इन्हे कम दिखयी देता हो उनको कक्षा-कक्ष में आगे की लाइन में बिठाया जाना चाहिए। कक्षा-कक्ष में उचित रोशनी का प्रबंध हो, आंशिक दृष्टि वाले बच्चां के लिए मोटे अक्षर वाली पुस्तकें होनी चाहिए। बच्चां को पढ़ने के लिए जैसे आप्टाकोन, कुर्जवेल अध्ययन मशीन, लधुबेल रिकार्डर आदि उपकरणो की व्यवस्था होनी चाहिए साथ ही साथ ब्रैल लिपि का प्रयोग करके भी उन्हे शिक्षा प्रदान की जा सकती है।

(2) श्रवण अक्षमता.

श्रवण शक्ति मौखिक संदेशवाहकता अधिगम मानसिक विकास और भाषा विकास का सबसे सशक्त साधन है। बालक अपने आस पास के वातावरण का ज्ञान श्रवण शक्ति के द्वारा ही प्राप्त करता है। कान में दोष होने पर बालक की शाब्दिक अभिव्यक्ति का विकास ठीक प्रकार से नही हो पाता है जिसे श्रवण अद्वामता की संज्ञा दी जाती है। श्रवण अक्षमता दो प्रकार की होती है- एक पूर्ण बाधिर, ऐसे बच्चों का क्षय 90 या इससे अधिक डेसिबल का स्तर होता है। ये बच्चें श्रवण

यंत्र के बिना और कभी कभी यंत्र लगाकर भी कुछ नही सुन पाते है। दूसरा अल्प श्रवण वाले बच्चें ऐसे बच्चों को यंत्र के द्वारा सुनने की प्रक्रिया को सरल बनाया जा सकता है। इन्हें पढ़ाने के लिए चिन्ह भाषा का उपयोग करना चाहिए, कक्षा में आगे की लाइन में बैठाना चाहिए, धीरे.धीरे बोलना चाहि, ताकि बच्चें होठ को देख कर समझ सकें। ऐसे बच्चों को शरीर से विभिन्न गतिविधियॉ करवाकर इनके सम्प्रेषण को सुधरा जा सकता है, विसुअल सामग्री का प्रयोग करके शिक्षा दी जा सकती है।

(3) मानसिक अक्षता या मंदता-

प्रत्येक मनुष्य मे एक विशिष्ट योग्यता या विशेषता है जिसे उसकी बौद्धिक शक्तियॉ कहा जा सकता हैए जब यह बौद्धिक क्षमता सामान्य से कम होती है तो इस स्थिति को मानसिक अक्षमता या मंदता कहा जाता है। बौद्धिक शक्तियों को मापने का पैमाना बुद्विलब्धि है। बुद्विलब्धि के विभिन्न स्तर होते है। अति गंभीर रूप से मानसिक मंद बच्चे को दैनिक क्रिया-कलाप सिखाये जाते है जैसे कंधी करना, ब्रश करना, कपड़ें पहनना आदि इसी प्रकार इन्हें सामाजिक कौशल जैसे हाथ मिलाना, हालचाल पूछना, त्यौहारां से सम्बन्धित कार्य करने के लिए प्रेरित करना आदि। उसी प्रकार इन्हे अवकाश के समय के कौशल जैसे गेम्स खेलना, संगीत सुनना, पढ़ना, टी. वी. देखना आदि सिखाये जाते है। उसी प्रकार गणित कौशल भी सिखया जाता है जैसे खेल-खेल में गिनती सिखाना, पहाडे सिखना, जोडना, घटाना, आयतन, भार आादि सिखना और इनका ज्ञान कराना। ऐसे बच्चों को पढ़ाने की विधि सामान्य बच्चों की अपेक्षा भिन्न होती है।

(4) गामक अक्षमता-

गामक अक्षमता से तात्पर्य बालक की शारीरिक क्षति से है गामक अक्षमता प्रायः मानव शरीर के कंकाल तंत्र से सम्बन्धित होती है। गामक अक्षमता स्नायुतंत्रिका, क्षतिमासपेशीयों एंव हड्डी से सम्बधित क्षति, जन्मजात विकृति, सामान्य कमी, मादक पदार्थ, विष का प्रभाव, दवा आदि के कारण उत्पन्न होती है। ऐसे बच्चों को नियमित कक्षाओं में सामान्य बालकों के साथ-साथ अध्ययन कराना चाहिए। जिसके लिए विभिन्न शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग इन बच्चों के लिए शिक्षण में काफी सहायक होगा। शिक्षकों को इनके सामाजिकए संवेगात्मक एवं शारीरिक विकास पर भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। इन बच्चों को सामान्य शिक्षण के साथ-साथ सामाजिक कौशल में भी दक्ष बनाना चाहिए।

(5) अधिगम अक्षमता-

अधिगम अक्षमता वाले बच्चां मे यद्यपि बौद्धिक क्षमता पर्याप्त होती है फिर भी वे कौशलों में पिछड़े रहते है। इनके शैक्षिक विकास के लिए पढ़ना-लिखना, स्पष्ट उच्चारण और गणितीय कौशल आवश्यक है। इनकी मस्तिष्कीय क्षमता और वास्तविक निष्पादन में बहुत अन्तर दिखाई पड़ता है। अधिगम अक्षमता के कारणों की स्पष्ट पहचान नहीं हो पायी है, लेकिन निश्चित रूप से इसमें मस्तिष्क प्रभावित होता है। जो किसी एक या अनेक कारणों से भी हो सकता है जिनमें से कुछ कारण जन्म से पूर्व और जन्म से बाद के हो सकते है।

5. निष्कर्ष:-

वर्तमान मे “सभी के लिए शिक्षा” नामक नारा अत्यधिक प्रचलित है। चूँकि भारत एक धर्म निरपेक्ष देश है, अतः यहॉ प्रत्येक जातिए धर्म, रंग-रूप के व्यक्ति रहते है। जिस प्रकार ये शारीरिक रूप से एक दूसरे से भिन्न है ठीक उसी प्रकार से ये मानसिक रूप से भी भिन्न है। इसी दृष्टिकोण के आधार पर इन बालकों की शिक्षा हेतु समावेशी शिक्षा का प्रावधान रखा गया। इस प्रकार कुल मिलाकर यह समावेशी शिक्षा समाज के सभी बच्चों को शिक्षा की मुख्य धरा के साथ जोड़ने की बात का समर्थन करती है। यही सही मायने मे सर्वशिक्षा जैसे शब्दों का ही रूपान्तरित हैए जिसके कई उद्देश्यों में से एक उद्देश्य यह भी है कि विशिष्ट आवश्यकताओं वाले बच्चों को भी शिक्षा का अधिकार है, लेकिन दुर्भाग्यवश हम

सभी इसके अर्थ को पूर्ण तरीके से नहीं समझते हुए इसके अर्थ को सिर्फ विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों की शिक्षा से ही लगा लेते है जो की सर्वथा ही गलत या अनुचित है। विशिष्ट बालकों का क्षेत्र व्यापक होने के कारण विशिष्ट शिक्षा का क्षेत्र भी व्यापक है। भिन्न-भिन्न प्रकार के विशिष्ट बालकों के लिए भिन्न -भिन्न प्रकार की विशिष्ट शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए क्यांकि समावेशी शिक्षा विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों की शिक्षा हो सकती है किन्तु इसका सम्पूर्ण उद्देश्य सभी का विकास करना है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची:-

1. 'आर्य', डॉ0 मोहन लाल (2017) शिक्षा के ऐतिहासिक एवं राजनीतिक परिप्रेक्ष्य, मेरठः आर0 लाल0 बुक डिपो।
2. 'आर्य', डॉ0 मोहन लाल (2018) शिक्षा के ऐतिहासिकए राजनीतिक एवं आर्थिक परिप्रेक्ष्य, मेरठः आर0 लाल0 बुक डिपो।
3. 'आर्य', डॉ0 मोहन लाल (2014) शैक्षिक प्रशासन एवं प्रबन्धन, मेरठः आर0 लाल बुक डिपो।
4. 'आर्य', डॉ0 मोहन लाल (2016) शैक्षिक प्रशासन एवं प्रबन्ध, मेरठः आर0 लाल बुक डिपो।
5. 'आर्य', डॉ0 मोहन लाल (2017) अधिगम और शिक्षण, मेरठः आर0 लाल बुक डिपा।
6. 'आर्य', डॉ0 मोहन लाल (2017) ज्ञान और पाठ्यक्रम, मेरठः आर0 लाल बुक डिपो।
7. 'आर्य', डॉ0 मोहन लाल (2017) अधिगम के लिए आंकलन, मेरठः आर0 लाल बुक डिपो।
8. 'आर्य', डॉ0 मोहन लाल, पाण्डेय डॉ0 महेन्द्र प्रसाद, कौर भूपेन्द्र एवं गोला राजकुमारी (2017) माजिक विज्ञान का शिक्षणशास्त्र, मेरठः आर0 लाल बुक डिपो।
9. मंगल, एस के व पाठक, पी डी (2010) अधिगमकर्ता का विकास और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, आगरा: अग्रवाल पब्लिकेशन्स।
10. ठाकुर, यतीन्द्र (2008) समावेशी शिक्षा, आगरा: अग्रवाल पब्लिकेशन्स।
11. Gupta, R. and P.L. Prasad (2008) Clinical Profile of Special Children, Med J Armed forces India Apr. 64(2): 143-4
12. Person with disabilities (Equal Opportunities, Protection of Rights and full participation) ACT, 1995, Ministry of Social Justice and empowerment, Govt of India.